

अनवान हरीराम व अन्य बनाम हरीकिशन व अन्य
वाद पत्र संख्या 109/2018

16.01.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली में वहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व 151 सीपीसी तथा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। वादिया संख्या 04 राधा पुत्री स्व० मीरा पुत्री केशुराम पत्नी बीरूराम जाति नायक निवासी बनवाली (बादलका) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व 151 सीपीसी तथा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उक्त अनवानी प्रकरण में वादी संख्या 01 हरीराम पुत्र स्व० मीरा पुत्री केशुराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर तथा प्रतिवादी संख्या 09 धापी पुत्री केशुराम पत्नी स्व० चानण राम जाति नायक निवासी 1 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की मृत्यु हो चुकी है। वादी संख्या 01 हरीराम तथा प्रतिवादी संख्या 09 धापी के उत्तराधिकारी निम्न प्रकार हैं:-

1. वादी संख्या 01 हरीराम पुत्र स्व० मीरा पुत्री केशुराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
 - 1.1 रणजीत पुत्र श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1.2 सतपाल पुत्र श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1.3 इन्द्राज पुत्र श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1.4 श्रीराम पुत्र श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1.5 भवरी देवी पुत्री श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1.6 आसा देवी पत्नी श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रतिवादी संख्या 09 धापी पुत्री केशुराम पत्नी स्व० चानण राम जाति नायक निवासी 1 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 5 पी पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
 - 9.1 मोहन लाल पुत्र श्री चानणराम जाति नायक निवासी निवासी 1 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 5 पी पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 9.2 राजू पुत्र श्री चानणराम जाति नायक निवासी निवासी 1 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 5 पी पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 9.3 हीरा देवी पुत्री श्री चानणराम जाति नायक निवासी निवासी 1 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 5 पी पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 9.4 पूर्णराम पुत्र श्री चानणराम जाति नायक निवासी निवासी 1 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 5 पी पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व 151 सीपीसी तथा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी संख्या 01 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 2.1 से 2.6 को उत्तराधिकारी के रूप में तथा प्रतिवादी संख्या 09 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 9.1 से 9.4 को उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया जाकर आगामी कार्यवाही की जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कथन किये गये कि उक्त पत्र को स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व 151 सीपीसी तथा आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार वादी संख्या 01 के पर उसके विधिक प्रतिनिधि 21 से 26 को उत्तराधिकारी के रूप में तथा 02 संख्या 09 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 91 से 94 को उत्तराधिकारी के रूप में संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्तु संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 12-12-2012 पेश हो।